प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिला पंचायतराज अधिकारी,
जनपद– हाथरस, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–5/ 1515 /2023–5/25–2/2018 SBM(G)   लखनऊ   दिनांकः 02 जनवरी, 2023

विषयः–गोबरधन योजनान्तर्गत स्थापित किये जाने वाले बायोगैस संयंत्र हेतु मार्ग–दर्शन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2758/पं0/स्व0भा0मि0(ग्रा0)/गोबरधन/2022–23 दिनांक 27.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से निम्न बिन्दुओं पर मार्ग–दर्शन प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गई है–

1. चयनित संस्था द्वारा विस्तृत कार्ययोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त कुल लागत में से पत्र में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार धनराशि चयनित संस्था को जनपद स्तर से उपलब्ध धनराशि से किया जा सकता है अथवा गोबरधन योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की मांग मिशन कार्यालय से करनी होगी।
2. धनराशि का हस्तान्तरण जनपद द्वारा सीधे चयनित संस्था को किया जाए अथवा बायोगैस संयंत्र की स्थापना हेतु चयनित गौशाला जिस ग्राम पंचायत में आती है, उस ग्राम पंचायत को धनराशि का हस्तान्तरण किया जाए।
3. यदि जनपद स्तर के एस0एन0ए0 खाते से धनराशि हस्तान्तरण किया जाना है तो कृपया उसका अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार वांछित मार्ग–दर्शन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि–

1. गोबरधन योजनार्न्गत निर्मित कराये जा रहे बायोगैस प्लान्ट का भुगतान जनपद में पूर्व से उपलब्ध स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मद की धनराशि से अधिकतम रू0 50.00 लाख की सीमा तक किया जा सकता है। जिसके लिये मिशन कार्यालय के पत्र संख्या–5/1061/2022–5/25/2018 दिनांक 19.09.2022 में उल्लिखित व्यवस्था का अनुसरण किया जायेगा।
2. मिशन कार्यालय के पत्र संख्या–5/1575/2022–5/25/2018 दिनांक 09.12.2020 के द्वारा सभी जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गोबरधन समिति का गठन किया गया है, जिसमें गोबरधन योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर होने वाले समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबंध के कार्य सेल के अनुमोदन से कराये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अतः धनराशि का हस्तान्तरण चयनित संस्था को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के माध्यम से अथवा जनपद द्वारा सीधे चयनित संस्था को किये जाने के सम्बन्ध में गोबरधन सेल स्तर से निर्णय लिया जाना उचित होगा।

अतः समस्त वित्तीय नियमों कड़ाई से पालन करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर गोबरधन योजनान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण बायोगैस प्लान्ट का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस0एन0 सिंह)
उप निदेशक/नोडल अधिकारी,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।
4. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

उप निदेशक/नोडल अधिकारी,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

जिला पंचायतराज अधिकारी,
जनपद– हाथरस, उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः–5/ 1515 /2023–5/25–2/2018 SBM(G) लखनऊ दिनांकः 02 जनवरी, 2023

विषयः–गोबरधन योजनान्तर्गत स्थापित किये जाने वाले बायोगैस संयंत्र हेतु मार्ग–दर्शन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–2758/पं0/स्व0भा0मि0(ग्रा0)/गोबरधन/2022–23 दिनांक 27.12.2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से निम्न बिन्दुओं पर मार्ग–दर्शन प्रदान किये जाने की अपेक्षा की गई है–

1. चयनित संस्था द्वारा विस्तृत कार्ययोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त कुल लागत में से पत्र में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार धनराशि चयनित संस्था को जनपद स्तर से उपलब्ध धनराशि से किया जा सकता है अथवा गोबरधन योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की मांग मिशन कार्यालय से करनी होगी।
2. धनराशि का हस्तान्तरण जनपद द्वारा सीधे चयनित संस्था को किया जाए अथवा बायोगैस संयंत्र की स्थापना हेतु चयनित गौशाला जिस ग्राम पंचायत में आती है, उस ग्राम पंचायत को धनराशि का हस्तान्तरण किया जाए।
3. यदि जनपद स्तर के एस0एन0ए0 खाते से धनराशि हस्तान्तरण किया जाना है तो कृपया उसका अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार वांछित्त मार्ग–दर्शन के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि–

1. गोबरधन योजनान्र्गत निर्मित कराये जा रहे बायोगैस प्लान्ट का भुगतान जनपद में पूर्व से उपलब्ध स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मद की धनराशि से अधिकतम रू0 50.00 लाख की सीमा तक किया जा सकता है। जिसके लिये मिशन कार्यालय के पत्र संख्या–5/1061/2022–5/25/2018 दिनांक 19.09.2022 में उल्लिखित व्यवस्था का अनुसरण किया जायेगा।
2. मिशन कार्यालय के पत्र संख्या–5/1575/2022–5/25/2018 दिनांक 09.12.2020 के द्वारा सभी जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गोबरधन समिति का गठन किया गया है, जिसमें गोबरधन योजनान्तर्गत जनपद स्तर पर होने वाले समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबंध के कार्य सेल के अनुमोदन से कराये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अतः धनराशि का हस्तान्तरण चयनित संस्था को सम्बन्धित ग्राम पंचायत के माध्यम से अथवा जनपद द्वारा सीधे चयनित संस्था को किये जाने के सम्बन्ध में गोबरधन सेल स्तर से निर्णय लिया जाना उचित होगा।

अतः समस्त वित्तीय नियमों कड़ाई से पालन करते हुए उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर गोबरधन योजनान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण बायोगैस प्लान्ट का निर्माण कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस0एन0 सिंह)
उप निदेशक/नोडल अधिकारी,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।
4. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

उप निदेशक/नोडल अधिकारी,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

प्रेषक,

जिला पंचायत राज अधिकारी,
हाथरस।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण),
हाथरस।

पत्रांक 2758 / पं. / स्व.भा.मि.(ग्रा.) / GOBAR-Dhan / 2022–23 दिनाँक 27 दिसम्बर, 2022

विषय–गोबरधन योजनान्तर्गत स्थापित किये जाने वाले बायोगैस संयत्र हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–5 / 1061 / 2022–5 / 25 / 2018 लखनऊ दिनाँक 19 सितम्बर, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से गोबरधन योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में महोदय को अवगत कराना है कि गोबरधनयोजना योजना हेतु बायोगैस संयत्र की स्थापना हेतु जनपद स्तरीय बायोगैस समिति की बैठक में चिन्हित स्थल की स्वीकृति एवं इम्पैनल्ड संस्थाओं में एक संस्था का चयन किया जा चुका है। चयनित संस्था को बायोगैय संयंत्र की स्थापना किये जाने हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया है।

महोदय निम्नलिखित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन की आवश्यकता है–

1. चयनित संस्था द्वारा विस्तृत कार्ययोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त कुल लागत में से पत्र में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार धनराशि चयनित संस्था को जनपद स्तर से उपलब्ध धनराशि से किया जा सकता है अथवा गोबरधन योजना के क्रियान्वयन हेतु धनराशि की माँग मिशन कार्यालय से करनी होगी।
2. धनराशि का हस्तान्तरण जनपद द्वारा सीधे चयनित संस्था को किया जाए अथवा बायोगैस संयत्र की स्थापना हेतु चयनित गौशाला जिस ग्राम पंचायत में आती है उस ग्राम पंचायत को धनराशि का हस्तान्तरण किया जाए।
3. यदि जनपद स्तर के SNA Account से धनराशि हस्तान्तरण किया जाना है तो कृपया उसका अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

अतः महोदय सानुरोध निवेदन है कि उक्त पर मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें जिससे अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(सुबोध जोशी) 27/12/22
जिला पंचायत राज अधिकारी,
हाथरस।

पत्रांक व दिनाँक–उक्तवत्।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी महोदया, हाथरस की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, हाथरस की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) महोदय, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।

जिला पंचायत राज अधिकारी,
हाथरस।

Scanned with OKEN Scanner

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 5/ 1575 /2020–5/25/2018 लखनऊ दिनांकः 09 दिसम्बर, 2020

विषयः—गोबरधन 2020 'वेस्ट टू वेल्थ' हेतु भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त अपर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार पत्र संख्या—S-18017/10/2020-SBM-III-DDWS दिनांक 19.10.2020 एवं S-18017/10/2020-SBM-III दिनांक 18.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के फेज–2 के नये दिशा–निर्देशों और कार्यान्वयन रणनीति के तहत जैव–अपव्यय अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिगत गोबर धन योजना महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद में मॉडल सामुदायिक बायोगैस प्लान्ट स्थापित किया जाना है तथा स्केलअप के तहत 10 अतिरिक्ति बायोगैस प्लान्ट भी निर्मित कराये जाने हैं। भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या—S-11011/2/2020-SBM-DDWS दिनांक 08.04.2020 के माध्यम से एस0बी0एम0(जी0) फेज–2 के फण्डिंग नार्मस में गोबर धन परियोजना हेतु प्रति जनपद रू0 50.00 लाख की वित्तीय व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त गोबरधन 2020 'वेस्ट टू वेल्थ' कार्यक्रम के तहत चयनित जनपदों में कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लान्ट (CBG) तथा को–आपरेटिव बेस्ड कलस्टर मॉडल बायोगैस प्लान्ट स्थापित किये जाने हैं।

उपरोक्त के क्रम में भारत सरकार की अपेक्षानुसार शासन के पत्र संख्या—2633/33–3–2020–104/2020 दिनांक 23.11.2020 के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समस्त सम्बन्धित विभागों की एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 02.12.2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय कमेटी/गोबर धन सेल का गठन निम्नवत् किया जाता है–

जनपदों में गोबर धन परियोजना हेतु गठित समिति		
क्रस.	पदनाम	जिला समिति में स्तर
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
5	परियोजना निदेशक,डी.आर.डी.ए.	सदस्य
6	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव
7	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8	जि0का0अ0 (आई0सी0डी0एस0)	सदस्य
9	अधिशासी अभियन्ता जल निगम	सदस्य
10	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन	सदस्य
11	परियोजना अधिकारी, यू0पी0नेडा	सदस्य
12	प्रबंधक, पी0सी0डी0एफ0	सदस्य
13	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
14	जिला पंचायत सदस्य(एक)	सदस्य
15	ब्लाक प्रमुख (दो)	सदस्य
16	प्रधान ग्राम पंचायत (तीन)	सदस्य

गठित जनपद स्तरीय कमेटी/गोबर धन सेल के दायित्व निम्नवत् होंगे–

✓ जनपद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का दायित्व सेल का होगा।

- ✓ सेल द्वारा जनपद में कियान्वयन के लिये ऐजेन्सी का चयन किया जा सकेगा।
- ✓ गोबरधन सेल, राज्य एवं जिले स्तर पर विभिन्न विभागों से ताल-मेल कर संचालन एवं अनुरक्षण करेगी।
- ✓ जनपद स्तर पर होने वाले समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्ध के कार्य सेल के अनुमोदन से किये जायेंगे।
- ✓ प्रत्येक वर्ष परियोजना का आडिट कराया जायेगा।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार गोबर धन परियोजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तरीय कमेटी/गोबर धन सेल हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीया,

(किंजल सिंह)
मिशन निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)उ0प्र0

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

<u>प्रतिलिपिः</u>- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

मिशन निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)उ0प्र0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः 5/1575/2020-5/25/2018 लखनऊ दिनांकः 09 दिसम्बर, 2020

विषयः-गोबरधन 2020 'वेस्ट टू वेल्थ' हेतु भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त अपर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार पत्र संख्या-S-18017/10/2020-SBM-III-DDWS दिनांक 19.10.2020 एवं S-18017/10/2020-SBM-III दिनांक 18.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के फेज-2 के नये दिशा-निर्देशों और कार्यान्वयन रणनीति के तहत जैव-अपव्यय अपशिष्ट प्रबंधन के दृष्टिगत गोबर धन योजना महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। योजनान्तर्गत प्रत्येक जनपद में मॉडल सामुदायिक बायोगैस प्लान्ट स्थापित किया जाना है तथा स्केलअप के तहत 10 अतिरिक्ति बायोगैस प्लान्ट भी निर्मित कराये जाने हैं। भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या-S-11011/2/2020-SBM-DDWS दिनांक 08.04.2020 के माध्यम से एस0बी0एम0(जी0) फेज-2 के फण्डिंग नार्मस में गोबर धन परियोजना हेतु प्रति जनपद रू0 50.00 लाख की वित्तीय व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त गोबरधन 2020 'वेस्ट टू वेल्थ' कार्यक्रम के तहत चयनित जनपदों में कम्प्रेस्ड बायोगैस प्लान्ट (CBG) तथा को-आपरेटिव बेस्ड कलस्टर मॉडल बायोगैस प्लान्ट स्थापित किये जाने हैं।

उपरोक्त के क्रम में भारत सरकार की अपेक्षानुसार शासन के पत्र संख्या-2633/33-3-2020-104/2020 दिनांक 23.11.2020 के माध्यम से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समस्त सम्बन्धित विभागों की एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 02.12.2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय कमेटी/गोबर धन सेल का गठन निम्नवत् किया जाता है-

जनपदों में गोबर धन परियोजना हेतु गठित समिति		
क्र.स.	पदनाम	जिला समिति में स्तर
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3	बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
5	परियोजना निदेशक,डी.आर.डी.ए.	सदस्य
6	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य सचिव
7	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8	जि0का0अ0 (आई0सी0डी0एस0)	सदस्य
9	अधिशासी अभियन्ता जल निगम	सदस्य
10	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, पशुपालन	सदस्य
11	परियोजना अधिकारी, यू0पी0नेडा	सदस्य
12	प्रबंधक, पी0सी0डी0एफ0	सदस्य
13	जिला सूचना अधिकारी	सदस्य
14	जिला पंचायत सदस्य(एक)	सदस्य
15	ब्लाक प्रमुख (दो)	सदस्य
16	प्रधान ग्राम पंचायत (तीन)	सदस्य

गठित जनपद स्तरीय कमेटी/गोबर धन सेल के दायित्व निम्नवत् होंगे-

- ✓ जनपद स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का दायित्व सेल का होगा।

- ✓ सेल द्वारा जनपद में क्रियान्वयन के लिये ऐजेन्सी का चयन किया जा सकेगा।
- ✓ गोबरधन सेल, राज्य एवं जिले स्तर पर विभिन्न विभागों से ताल–मेल कर संचालन एवं अनुरक्षण करेगी।
- ✓ जनपद स्तर पर होने वाले समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रबन्ध के कार्य सेल के अनुमोदन से किये जायेंगे।
- ✓ प्रत्येक वर्ष परियोजना का आडिट कराया जायेगा।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार गोबर धन परियोजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तरीय कमेटी/गोबर धन सेल हेतु अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक–उपरोक्तानुसार।</u>

भवदीया,

(किंजल सिंह)
मिशन निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)उ0प्र0

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

<u>प्रतिलिपिः</u>– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।

मिशन निदेशक
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)उ0प्र0

F.No. S-18017/10/2020-SBM-III-DDWS
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Drinking Water & Sanitation

...

4th Floor, Pt. DeendayalAntyodaya Bhawan,
CGO Complex Lodhi Road,
New Delhi -10003.

Dated 19th October, 2020

To

The Chief Secretary,
All States/ UTs

Sub: GOBAR-Dhan 2020 'Waste to Wealth': A Unified Approach of Government of India.

Sir,

As you are aware, GOBAR-Dhan Scheme aims to ensure overall cleanliness in villages and generate income for rural households by converting cattle dung and agro-waste into biogas and slurry.

2. GOBAR-Dhan was launched in April 2018 with different implementation approach but in Phase-II of the Swachh Bharat Mission (Grameen) [SBM(G)], it is one of the important components under bio-degradable waste management with new guidelines and implementation strategy.

3. The operational guidelines of Phase-II of SBM(G) provide for financial assistance upto Rs.50.00 lakh per district for GOBAR-Dhan Projects. At least one model community level biogas plant per district is mandatory, which should preferably be taken up near Gaushalas. Individual and community level biogas plants can be constructed at village/block/district levels. Additional projects can be taken up under GOBAR-Dhan by adopting the financial norms of New National Biogas and Organic Manure Programme(NNBOMP) of Ministry of New and Renewable Energy(MNRE), with 15th Finance Commission grants.

4. MNRE is implementing three schemes related to biogas *viz.* (i) Programme on Energy from Urban, Industrial, Agricultural Wastes/residues and Municipal Solid Waste (ii) NNBOMP (small biogas plants) and (iii) BPGTP (medium scale biogas plans). Ministry of Petroleum and Natural Gas is implementing the SATAT (Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation) programme with the objective to establish 5000 CBG plants across the country with estimated production of 15 MMT CBG per annum by 2023.

5. With a view to have a unified approach for converting waste to energy, DDWS will be coordinating such efforts at National level. To move forward, it has also been decided to implement a pilot programme- GOBARD-Dhan 2020 -21 with the following targets:

- (i) 100 cooperative models under Swachh Bharat Mission Phase II / DDWS
- (ii) 10 CBG plant, with support from Agriculture Infrastructure Fund and MNRE or any other Schemes of GoI

6. Based on the local conditions, different implementation approaches are possible and such locally suitable models may be adopted for GOBAR-Dhan 2020-21 pilot programme. The details of the three models are at Annexure with flexibility to States to plan and implement various other viable models.

7. In this direction, following developments may kindly be noted which will help in implementation of pilot projects:

- (i) Vide gazette notification No.S.O.2324(E) dated 14th July, 2020, issued under F.No.2-5/2019 Fert Law, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare has issued the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) second Amendment Order, 2020. In the said order "Fermented Organic Manure" has been included in Schedule-IV, in PART-A (Specification of Organic Fertiliser) of the Fertiliser Control Order (FCO), 1985

- (ii) Reserve Bank of India, vide Master Directions FIDD.CO.Plan.BC.5/04.09.01/2020-21 dated 4th September, 2020, has issued the revised guidelines on Priority Sector Lending (PSL). In the revised guidelines, loans to entrepreneurs for setting up Compressed Bio Gas (CBG) plants has been included as an activity eligible for priority sector lending under Agriculture infrastructure and Ancillary activities.

- (iii) Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare has launched a Central Sector Scheme-Agriculture Infrastructure Fund. The Scheme provides a medium - long term debt financing facility for investment in viable projects for post-harvest management Infrastructure and community farming assets through interest subvention and financial support. All loans under this financing facility will have interest subvention of 3% per annum up to a limit of Rs. 2 crore. This subvention will be available for a maximum period of 7 years.

- (iv) State Bank of India has come out with a new loan product for financing "Compressed Biogas (CBG) plants" under SATAT Scheme for Rs.5000 crore. Under SATAT, Indian Oil Corporation Limited, Bharat Petroleum Corporation Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, GAIL (India) Limited and Indraprastha Gas Limited will procure CBG at an assured price from potential entrepreneurs.

(v) Under Waste to Energy Programme of MNRE, financial assistance is available for biogas generation @ Rs 1.0 crore per 12000cum/day and for Bio-CNG generation (including setting of Biogas plant) @ Rs 4.0 crore per 4800Kg/day;

8. The following institutional or governance arrangements may be set up in the States for implementation of the GOBARDHAN 2020-21:

(i) A committee with representation from all the concerned departments - to be chaired by the Chief Secretary;
(ii) Identification of a Nodal Department for the pilot project by Chief Secretary; and
(ii) A GOBARDHAN Cell in district under a District Collector/District Magistrate/CEO for the selected districts.

9. DDWS may kindly be informed details regarding the Nodal Department and Nodal Officer of the State for further communication and coordination.

Yours faithfully,

(Arun Baroka)
Additional Secretary to Govt. of India
Ph: 011-24362192
Email: arun.baroka@nic.in

Copy for information to :-

1. Cabinet Secretary to the Government of India.
2. Secretary to the Government of India (Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare/ Department of Animal Husbandry & Dairying/Department of Financial Services/Ministry of New & Renewable Energy/Ministry of Petroleum & Natural Gas).
3. ACS/Pr. Secretaries/Secretaries, In-charge of Rural Sanitation, (Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Karnataka, Telangana, Madhya Pradesh, Maharashtra, Punjab, Uttar Pradesh, Rajasthan, West Bengal)

Annexure

Model -1 is the establishment of individual biogas plants in every household with more than 3-5 cattle, who are registered in the cooperative milk union in the village. Each household will get a $2m^3$ capacity flexi biogas plant. Biogas will be used for cooking in the household and slurry will be sold to the cooperative union based on its quality with a fixed rate. This model will be implemented with the support of NDDB in the States, where milk cooperatives or milk producing companies have strong network. Dairy Cooperatives will identify the beneficiaries on the basis of their milk transaction history and affiliation. Cooperatives will procure and arrange to install flexi biogas plants of $2\ m^3$ capacity for the beneficiaries. Up to 50% of contribution shall be availed from beneficiary (upfront or deducted through milk bill). Dairy Cooperatives on the lines of milk value chain will establish manure value chain with NDDB support. It will include arrangement for slurry procurement, processing of slurry and marketing of slurry-based bio fertilizers.

Model 2 is the entrepreneur led Central Anaerobic Digester (Biogas Plant), where large capacity biogas plant will be installed using advanced technology and biogas is converted to CBG and slurry is converted to bio-fertilizers. The entrepreneur has to make arrangement for buying, collection and transportation of feedstock from the source to the plant. The biogas generated is converted to CBG and can be sold as fuel either directly to consumers or to oil marketing companies and slurry can be converted to bio-fertilizers and sold to farmers.

Model 3 is the model where a District Co-operative Milk Producers' Union/ Federation establish a Central Biogas plant and collect waste from registered families who supply milk to the cooperative society and have minimum 5 cattle at households. The collection route plan is also prepared.. The payment of cow dung can be paid to dairy-farmers with the milk payment periodically. The raw biogas generated is collected and then compressed. The purified gas can filled in vehicles through dispensing system set up at the premises of the biogas plant or can also be sold to the oil marketing companies. Slurry can be converted to bio-fertilizers and sold to farmers. This model is suitable in States which have strong Co-operative Milk Producers' Union/ Federation.

उत्तर प्रदेश शासन

पंचायती राज अनुभाग–3

संख्या–2633/33–3–2020–104/2020

लखनऊ: दिनांक: 23 नवम्बर, 2020

कार्यालय–ज्ञाप

गोबर–धन योजना 2020 'वेस्ट टू वेल्थ' योजनान्तर्गत गांव की समग्र स्वच्छता के साथ कैटिल डंग एवं कृषि अपशिष्टों को बायोगैस स्लरी में परिवर्तित कर ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने का उद्देश्य है। इस हेतु शासन स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

(1)	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।	अध्यक्ष।
(2)	अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य।
(3)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य।
(4)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग।	सदस्य।
(5)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य।
(6)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य।
(7)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, उ0प्र0।	सदस्य।
(8)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य।
(9)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य।
(10)	निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 लखनऊ।	सदस्य सचिव।

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

(1063)
प्रोग्रामर
(योगेन्द्र कटियार)
उप निदेशक (पं०)/नोडल अधिकारी
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0
24-11-2020

संख्या व दिनांक:– तदैव।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कृषि विभाग/पशुपालन/नगर विकास/औद्योगिक विकास/नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा/वित्त/ग्राम्य विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त समिति की बैठक दिनांक 02.12.2020 को अपराह्न 04:00 बजे आहूत की गई है। कृपया उक्त बैठक में प्रतिभाग करने का कष्ट करें।
2. विशेष सचिव एवं स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, पंचायती राज/मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0), उ0प्र0।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

No. S-11011/2/2020-SBM-DDWS
Government of India
Ministry of Jal Shakti
Department of Drinking Water & Sanitation
Swachh Bharat Mission (Grameen)

4th Floor, Pt. Deendayal "Antodoya Bhawan",
CGO Complex, Lodi Road,
New Delhi-110003
Dated: 08.04.2020

To

The Chief Secretaries
All States/UTs

Subject: Swachh Bharat Mission (Grameen) Phase-II – components and funding norms reg.

Madam/Sir,

As you are aware, the Union Cabinet has approved Phase-II of the Swachh Bharat Mission (Grameen) on 19.02.2020 with a focus on sustaining Open Defecation Free (ODF) behaviours and ensuring Solid and Liquid Waste Management (SLWM) in all villages of India, i.e. moving from ODF to ODF-Plus. The programme will be implemented from 2020-21 to 2024-25. It will also work towards ensuring that no one is left behind, and that everyone has access to and uses a toilet.

2. Funding norms of some of the components under the programme have also been revised/rationalised.

3. For the first time, 15th Finance Commission in its interim report for the year 2020-21, has identified water supply and sanitation as national priority areas for Rural Local Bodies (RLBs), and accordingly 50% of Rs.60,750 crore i.e. Rs. 30,375 crore has been allocated as tied-grants to RLBs for (a) sanitation and maintenance of open-defecation free (ODF) status; and (b) supply of drinking water, rain water harvesting and water recycling. PRIs have to earmark half of the tied grants for each of these two components. A joint advisory for utilization of 15th Finance Commission grants to RLBs for sanitation and water related activities has already been issued by the Department of Drinking Water and Sanitation and Ministry of Panchayati Raj vide DO letter No.S-11011/1/2020-SBM-DDWS dated 17th March, 2020.

4. In order to achieve the desired objectives of ODF plus villages, this Department has identified a number of components which will be eligible for funding under SBM(G) Phase-II. Other funding source such as 15th Finance Commission grants, MGNREGS funds, MPLAD/MLALAD funds, CSR funds, business models, etc and convergence with other Schemes of the Central or State Governments may also be taken up for these components, as well as for other important activities.

5. The brief details of major components to be taken up under SBM(G) Phase-II are given below:-

(a) **Individual Household Latrines (IHHL):-** Incentive of Rs.12,000/- for construction of IHHL will be continued to the new eligible households [all Below Poverty Line (BPL) households and identified Above Poverty Line (APL) households (viz. Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Small and Marginal Farmers, Landless Labourers

with Homestead, Physically Handicapped, and Women headed households)]. The fund sharing pattern between Centre and State will be 60:40 (90:10 for 8 NE States, two Himalayan States viz. Uttarakhand and Himachal Pradesh and for UT of Jammu & Kashmir, and 100:0 for other UTs). All the new but ineligible (APL) households are to be encouraged to construct IHHL from their own resources.

(b) **Community Managed Sanitation Complex (CMSC):** - Financial assistance upto Rs.3 lakh per CMSC will be provided to the GPs for construction of CMSCs at village level. 30% of this amount will be borne by the GPs from their 15[th] Finance Commission grants, and remaining 70% will be provided from SBM(G) Phase-II funds in the ratio of 60:40 between Centre and State (90:10 for 8 NE States, two Himalayan States viz. Uttarakhand and Himachal Pradesh and for UT of Jammu & Kashmir, and 100:0 for other UTs). However, emphasis is to be given to PPP mode for setting up of such projects and self-revenue generation models for meeting the O&M costs of such complexes. O&M of such complexes will however be the responsibility of the GPs.

(c) **Solid and Liquid Waste Management (SLWM):**- For Solid and Liquid Waste Management activities, the provision of financial assistance to GPs has been revised from the 'GP size bands' to 'per capita basis' and interventions at various levels have been envisaged for different types of activities. The following activities can be funded under SBM(G) Phase-II:

(i) Purchase of tri-cycles/battery vehicles for transportation of wastes from households to village level collection centre

(ii) Organic Waste

(a) Construction of community compost pits at village level
(b) GOBAR-Dhan Projects at district level

(iii) Plastic Waste

(a) Storage Facility at Village level
(b) Plastic Waste Management Unit at District/Block level

(iv) Grey Water Management

(a) Construction of community soak pits (in smaller villages i.e. upto 5000 population). Greywater management system such as WSP or any other technologies, etc. can also be taken up with the additional fund support from 15[th] Finance Commission grants or through convergence with other Central/State Govt. Schemes.
(b) In bigger villages (i.e. above 5000 population), apart from community soak pits, greywater management system such as WSP or any other technologies, etc. can also be taken up.

(v) Faecal Sludge Management (FSM): FSM to be taken up at district level for cluster of villages for single pit and septic tank toilets. However, before taking up FSM, adequate priority may be given to retrofit such toilets to twin

pits through IEC. The following activities to be taken up under FSM by the State/UTs:

(a) Co-treatment through existing Faecal Sludge Treatment Plant (FSTP)/ Sewage Treatment Plants (STPs) in nearby urban areas may be planned, especially for peri-urban villages.
(b) Trenching for far off villages.
(c) Setting up of Faecal Sludge Treatment Plant (FSTP)
(d) Emptying of faecal sludge from septic tanks/single pits and its transport may be taken up through appropriate business models or/and with the 15th Finance Commission grants to GPs or/and through convergence with other schemes of State or Central Governments.

(vi) The funding norms for prescribed SLWM activities are as under:-

A. Village level SLWM activities	
Village size	**Financial support***
Upto 5000 population	Solid Waste Management : Upto Rs.60 per capita* Greywater Management : Upto Rs.280 per capita*
Above 5000 population	Solid Waste Management : Upto Rs.45 per capita* Greywater Management : Upto Rs.660 per capita*

*However, each village can utilize minimum of total Rupees 1 lakh based on their requirements. 30% share will be borne by GPs from their 15th Finance Commission grants. Remaining 70% will be met from SBM(G) Phase-II funds in the ratio of 60:40 between Centre and State (90:10 for 8 NE States, two Himalayan States viz. Uttarakhand and Himachal Pradesh and for UT of Jammu & Kashmir, and 100:0 for other UTs).

B. District/Block level SLWM activities	Financial support
Plastic Waste Management Unit (one in each Block)	Upto Rs.16 lakh per unit
Faecal Sludge Management (FSM)	Upto Rs.230 per capita
GOBAR-Dhan Projects**	Upto Rs.50 lakh per District

The fund sharing pattern between Centre and State will be 60:40 (90:10 for 8 NE States, two Himalayan States viz. Uttarakhand and Himachal Pradesh and for UT of Jammu & Kashmir, and 100:0 for other UTs).

**(i) Additionally, minimum 10 GOBAR-dhan projects to be set up per Block as per the financial norms (Central Financial Assistance) under New National Biogas and Organic Manure Programme (NNBOMP) of Ministry of New & Renewable Energy.

(ii) The financial provisions of the schemes of Ministry of Petroleum & Natural Gas (SATAT) and Ministry of New and Renewable Energy (NNBOMP) will be adopted at group and individual households respectively.

(iii) Appropriate business models to be used for setting up of more projects at village/GP/Block/district level. The State/District may also emulate the model projects for setting up more GOBAR-Dhan projects at village/Gram Panchayat/Block/district level, wherever needed and feasible/viable, from their own sources or other funds or convergence with other schemes of State or Central Governments.

(vii) O&M for all the SLWM assets created under SBMG Phase-II to be borne by the GPs/Block/Distt by revenue generation through business models.

(d) **Information, Education and Communication (IEC) and Capacity building (CB):** The States/UTs can utilize up to 3% of programme funds for IEC and CB activities as per State and District plan. Emphasis to be given on capacity strengthening and knowledge sharing at all levels. In convergence with National Rural Livelihoods Mission (NRLM) of Ministry of Rural Development, Self Help Groups (SHGs) may be involved as vehicles for Behaviour Change Communication. Training plans for imparting trainings to Swachhagrahis, other field functionaries and masons may be prepared in convergence with programmes of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.

(e) **Administrative Expenses**:- Upto 1% of the total programme funds can be used for Administrative activities by the States/UTs.

(f) Labour cost of construction of compost pits, soak pits and greywater systems (waste stabilization pond etc) will be borne through convergence with MGNREGS.

(g) The cost of drainage channels will be met by the GPs from 15th Finance Commission grants or through convergence with MGNREGS or other schemes of State or Central Governments.

(h) State Governments will have the flexibility to provide higher incentive/additional funding from sources other than SBM(G) such as 15th Finance Commission grants, MPLAD/MLALAD/CSR funds or through convergence with MGNREGS or other schemes of the State or Central Governments, etc.

6. The new provisions mentioned above are applicable from 1st April 2020 onwards, and this Department will issue the detailed operational guidelines for implementation of SBM(G) Phase-II separately and shortly.

Yours faithfully,

(Arun Baroka)
Additional Secretary to the Government of India
Tele: 011-2436 2192
Email: arun.baroka@nic.in

Copy to: - 1. ACS/Pr.Secy/Secy. in charge of rural sanitation, all States/UTs
2. Mission Directors, SBM(G), all States/UTs

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–5/106/2022–5/25/2018 लखनऊ दिनांकः 19 सितम्बर, 2022

विषयः–गोबरधन योजनान्तर्गत बायोगैस प्लान्ट बनाये जाने हेतु संस्थाओं के इम्पैलनमेंट के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप विदित हैं कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में गोबर धन योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जनपदों में कराया जाना निर्धारित है। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–1901/ 33–3–2022–104/2020 दिनांक 09.09.2022 एवं मिशन कार्यालय के पत्र संख्या–5/1054/ 2022–5/25/2018 दिनांक 17.09.2022 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 में गोबरधन परियोजनान्तर्गत बायोगैस प्लान्ट निर्मित कराये जाने हेतु 04 दक्ष संस्थाओं का इम्पैलनमेंट राज्य स्तर पर किया गया है। संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	बायोगैस प्लान्ट की क्षमता (आकार)	एल–1 श्रेणी के बिडर	एल–2, एल–3 व एल–4 श्रेणी के बिडर, जिन्होने एल–1 दरों पर कार्य करने की सहमति प्रदान की है।	एल–1 दरें (रूपये में)
1	02 घन मी0	मेसर्स शिवा बायोगैस एजेन्सी	(1) मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0	1,56,800.00
2	10 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0	(2) मेसर्स आनन्द बायोटेक प्रा0लि0	4,50,000.00
3	25 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0		9,50,000.00
✓4	45 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0	(3) मेसर्स सिद्धू बायोटेक	24,00,000.00
5	60 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0		31,00,000.00
6	85 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0	(4) मेसर्स शिवा बायोगैस एजेन्सी	40,00,000.00
7	140 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0		46,00,000.00

चूंकि गोबर धन योजनान्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मद की धनराशि से सामुदायिक बायोगैस संयत्रों की अनुमन्यता है, अतएव संख्या–3 से 7 पर 25 घन मीटर से 140 घन मीटर क्षमता वाले संयत्रों को ग्राम पंचायतों में स्थापित किया जाना श्रेयस्कर होगा। योजनान्तर्गत प्रति जनपद रू0 50.00 लाख की धनराशि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) मद से अनुमन्य है।

उपरोक्त चारों संस्थाओं यथा 1. मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0 (सम्पर्क सूत्र–7022009565, ई–मेलः admin@arunagreen.com), 2. मेसर्स आनन्द बायोटेक प्रा0लि0 (सम्पर्क सूत्र–7618920792, ई–मेलः director.anandbiotech@gmail.com), 3. मेसर्स सिद्धू बायोटेक (सम्पर्क सूत्र–9760830083, ई–मेलः anil.diviyapur@gmail.com) एवं 4. मेसर्स शिवा बायोगैस एजेन्सी (सम्पर्क सूत्र– 9838466663, ई–मेलः shivabiogas@gmail.com) द्वारा एल–1 दरों पर गोबर धन योजनान्तर्गत बायोगैस प्लान्ट का निर्माण निम्नवत् शर्तों पर कराया जा सकता है–

1. जनपद में बायोगैस निर्माण कराये जाने हेतु कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट की 03 प्रतिशत धनराशि परफार्मेंस सिक्योरिटी के दृष्टिगत बैंक गारण्टी के रूप में रख–रखाव ओएनडम पीरीयड तक संरक्षित की जायेगी।
2. संस्था द्वारा शुरूआत से ही उसी गांव के जिस गांव में बायोगैस प्लान्ट का निर्माण कराया जा रहा हो, के स्वयं सहायता समूह के एक सदस्य को सम्मिलित रखा जायेगा तथा प्लान्ट के संचालन व रख–रखाव के लिये दक्ष किया जायेगा। जिससे कि ओएनडम पीरीयड के पश्चात् हैण्डओवर होने पर प्लान्ट का समुचित रख–रखाव व संचालन किया जा सके। यदि उस गांव का स्वयं सहायता समूह का सदस्य उपलब्ध न

हो तो ऐसी परिस्थिति में किसी निकटस्थ गांव के स्वयं सहायता समूह के सदस्य को लिया जा सकता है।

3. चयनित संस्था एवं डिस्ट्रीक्ट गोबर धन सेल के मध्य निर्माण एवं रख–रखाव हेतु समस्त आवश्यक शर्तों सहित एक अनुबन्ध किया जाना अनिवार्य होगा।
4. संस्था को भुगतान चरणबद्ध तरीके से निम्नवत् किया जायेगा–

क्र0 सं0	गतिविधि पूर्ण करना	निर्धारित समय सीमा	भुगतान
1	संस्था द्वारा डी0पी0आर0 तैयार कराकर तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करना	अधिकतम 10 दिवस	कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट की 25 प्रतिशत धनराशि
2	50 प्रतिशत तक निर्माण कार्य पूर्ण करने पर	अधिकतम 45 दिवस	कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट की 25 प्रतिशत धनराशि
3	निर्माण कार्य पूर्ण कर प्लान्ट संचालित करना	अधिकतम 45 दिवस	कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट की 40 प्रतिशत धनराशि
4	आपरेशन एण्ड मेनटेनेंस	01 वर्ष तक	कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट की 10 प्रतिशत धनराशि दो बराबर छमाही किस्तों में
कुल		100 दिवस एवं 01 वर्ष रख–रखाव	शत–प्रतिशत भुगतान

5. राज्य स्तर पर उक्त चारों संस्थाओं का इम्पैनलमेंट तथा दरों का निर्धारण KVIC Model पर निम्न स्पेसिफिकेशन्स पर किया गया है–

S. No.	Details
1.	Floating Dome Bio Gas Plant 25 cum as per SCOPE OF WORK (Terms of Reference)- complete 200 running meter pipe line supply to 4 Households with erection and commissioning
2.	A)- Floating Dome 45 cum Bio Gas Power Generation Plant as per SCOPE OF WORK (Terms of Reference)-complete supply with 05 KVA Genset & Complete Gas Purification System, with erection and commissioning OR B)- Floating Dome 45 cum Bio Gas Thermal Based Plant as per SCOPE OF WORK (Terms of Reference)-complete gas supply to 10-15 Households with 300 running meter G.I Pipe Line, with erection and commissioning
3.	A)- Floating Dome 60 cum Bio Gas Power Generation Plant as per SCOPE OF WORK (Terms of Reference)-complete supply with 10 KVA Genset & Complete Gas Purification System, with erection and commissioning OR B)- Floating Dome 60 cum Bio Gas Thermal Based Plant as per SCOPE OF WORK (Terms of Reference)-complete gas supply to 20-25 Households with 400 running meter G.I Pipe Line, with erection and commissioning
4.	A)- Floating Dome 85 cum Bio Gas Power Generation Plant as per SCOPE OF WORK (Terms of Reference)-complete supply with 15 KVA Genset & Complete Gas Purification System, erection and commissioning. OR B)- Floating Dome 85 cum Bio Gas Thermal Based Plant as per SCOPE OF WORK (Terms of Reference)-complete gas supply to 30-35 Households with 500 running meter G.I Pipe Line with erection and commissioning.
5.	A)- Floating Dome 140 cum Bio Gas Power Generation Plant as per SCOPE OF WORK (Terms of Reference)-complete supply with 30 KVA Genset & Complete Gas Purification System, erection and commissioning. OR B)- Floating Dome 140 cum Bio Gas Thermal Based Plant as per SCOPE OF WORK (Terms of Reference)-complete gas supply to 50-55 Households with 750 running meter G.I Pipe Line with erection and commissioning.

उपरोक्तानुसार गोबर धन योजनान्तर्गत सामुदायिक बायोगैस प्लान्ट का निर्माण ग्राम पंचायत में संचालित किसी सरकारी गौशाला से जोड़कर कराया जाएगा। जिससे कि प्लान्ट हेतु आवश्यक फीड निरन्तर उपलब्ध हो सके। साथ ही प्लान्ट से प्राप्त होने वाले बायोगैस तथा स्लरी का उपयोग गौशाला के साथ–साथ ग्राम पंचायत के समुदाय के लिये किया जाएगा।

संस्थाओं का राज्य स्तर पर इम्पैनलमेंट किये जाने हेतु तैयार की गई आर०एफ०पी० की प्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। आर०एफ०पी० में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसरण कर संस्था का चयन एवं गुणवत्तापूर्ण बायोगैस प्लान्ट का निर्माण कराया जा सकता है।

अतः उक्त संस्थाओं में से अपने जनपद के लिये किसी भी संस्था का चयन कर गोबर धन योजना के लक्ष्य को ससमय पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्नक—उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ०प्र०।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं०), उ०प्र०।
5. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ०प्र०।
6. संस्था मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा०लि०, मेसर्स आनन्द बायोटेक, प्रा०लि०, मेसर्स शिवा बायोगैस एजेन्सी एवं मेसर्स सिद्धू बायोटेक को सूचनार्थ।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ०प्र०।

संस्थाओं का राज्य स्तर पर इम्पैनलमेंट किये जाने हेतु तैयार की गई आर०एफ०पी० की प्रति पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। आर०एफ०पी० में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसरण कर संस्था का चयन एवं गुणवत्तापूर्ण बायोगैस प्लान्ट का निर्माण कराया जा सकता है।

अतः उक्त संस्थाओं में से अपने जनपद के लिये किसी भी संस्था का चयन कर गोबर धन योजना के लक्ष्य को समयान्तर्गत पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
6. संस्था मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0, मेसर्स आनन्द बायोटेक, प्रा0लि0, मेसर्स शिवा बायोगैस एजेन्सी एवं मेसर्स सिद्धू बायोटेक को सूचनार्थ।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–5/1054/2022–5/25/2018 लखनऊ दिनांक 17 सितम्बर, 2022

विषय:–गोबरधन योजनान्तर्गत बायोगैस प्लान्ट बनाये जाने हेतु संस्थाओं के इम्पैनलमेंट के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप विदित है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में गोबर धन योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जनपदों में कराया जाना निर्धारित है। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–1901/ 33–3–2022–104/2020 दिनांक 09.09.2022 (छायाप्रति) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 में गोबरधन परियोजनान्तर्गत बायोगैस प्लान्ट निर्मित कराये जाने हेतु 04 दक्ष संस्थाओं का इम्पैनलमेंट राज्य स्तर पर किया गया है। संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	बायोगैस प्लान्ट की क्षमता (आकार)	एल–1 श्रेणी के बिडर	एल–2, एल–3 व एल–4 श्रेणी के बिडर, जिन्होने एल–1 दरों पर कार्य करने की सहमति प्रदान की है।	एल–1 दरें (रूपये में)
1	02 घन मी0	मेसर्स शिवा बायोगैस एजेन्सी	(1) मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0	1,56,800.00
2	10 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0	(2) मेसर्स आनन्द बायोटेक प्रा0लि0	4,50,000.00
3	25 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0		9,50,000.00
2	45 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0	(3) मेसर्स सिद्धू बायोटेक	24,00,000.00
3	60 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0		31,00,000.00
4	85 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0	(4) मेसर्स शिवा बायोगैस एजेन्सी	40,00,000.00
5	140 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0		46,00,000.00

उपरोक्त चारों संस्थाओं द्वारा एल–1 दरों पर कार्य करने हेतु अपनी स्वीकृति दी गई है। जनपदों द्वारा इन संस्थाओं के माध्यम से गोबर धन योजनान्तर्गत बायोगैस प्लान्ट का निर्माण अनुबन्ध/आवश्यक शर्तो पर कराया जा सकता है।

अतः उक्त संस्थाओं में से अपने जनपद के लिये किसी भी संस्था का चयन कर गोबर धन योजना के लक्ष्य को ससमय पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
6. संस्था मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0, मेसर्स आनन्द बायोटेक प्रा0लि0, मेसर्स शिवा बायोगैस एजेन्सी एवं मेसर्स सिद्धू बायोटेक को सूचनार्थ।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–5/1054/2022–5/25/2018 लखनऊ दिनांक 17 सितम्बर, 2022

विषय–गोबरधन योजनान्तर्गत बायोगैस प्लान्ट बनाये जाने हेतु संस्थाओं के इम्पैनलमेंट के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप विदित है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 में गोबर धन योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त जनपदों में कराया जाना निर्धारित है। इस सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–1901/33–3–2022–104/2020 दिनांक 09.09.2022 (छायाप्रति) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 में गोबरधन परियोजनान्तर्गत बायोगैस प्लान्ट निर्मित कराये जाने हेतु 04 दक्ष संस्थाओं का इम्पैनलमेंट राज्य स्तर पर किया गया है। संस्थाओं का विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	बायोगैस प्लान्ट की क्षमता (आकार)	एल–1 श्रेणी के बिडर	एल–2, एल–3 व एल–4 श्रेणी के बिडर, जिन्होंने एल–1 दरों पर कार्य करने की सहमति प्रदान की है।	एल–1 दरें (रूपये में)
1	02 घन मी0	मेसर्स शिवा बायोगैस एजेन्सी	(1) मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0 (2) मेसर्स आनन्द बायोटेक प्रा0लि0 (3) मेसर्स सिद्धू बायोटेक (4) मेसर्स शिवा बायोगैस एजेन्सी	1,56,800.00
2	10 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0		4,50,000.00
3	25 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0		9,50,000.00
2	45 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0		24,00,000.00
3	60 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0		31,00,000.00
4	85 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0		40,00,000.00
5	140 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0		46,00,000.00

उपरोक्त चारों संस्थाओं द्वारा एल–1 दरों पर कार्य करने हेतु अपनी स्वीकृति दी गई है। जनपदों द्वारा इन संस्थाओं के माध्यम से गोबर धन योजनान्तर्गत बायोगैस प्लान्ट का निर्माण अनुबन्ध/आवश्यक शर्तों पर कराया जा सकता है।

अतः उक्त संस्थाओं में से अपने जनपद के लिये किसी भी संस्था का चयन कर गोबर धन योजना के लक्ष्य को ससमय पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अनुज कुमार झा)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पं0), उ0प्र0।
5. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
6. संस्था मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0, मेसर्स आनन्द बायोटेक प्रा0लि0, मेसर्स शिवा बायोगैस एजेन्सी एवं मेसर्स सिद्धू बायोटेक को सूचनार्थ।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),उ0प्र0।

संख्या: 1301/33-3-2022-104/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण),
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायतीराज, अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक: 9 ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2022

विषय:- गोबरधन योजनान्तर्गत एजेन्सी इम्पैनलमेंट किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5/741/2022-5/25/2018 दिनांक-19.07.2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से गोबर धन योजनान्तर्गत जनपदों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु ई-निविदा के माध्यम से एजेन्सियों का चयन कर उनकी सूची आदि प्रपत्र उपलब्ध कराते हुए शासन स्तर से इम्पैनलमेंट किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न एजेंसियों को गोबरधन योजनान्तर्गत इम्पैनल किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0 सं0	बायोगैस प्लाण्ट की क्षमता (आकार)	एल-1 श्रेणी के बिडर	एल-2, एल-3 व एल-4 श्रेणी के बिडर, जिन्होंने एल-1 दरों पर कार्य करने की सहमति प्रदान की है।
1	02 घन मी0	मेसर्स शिवा बायोगैस एजेन्सी।	(1) मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0
2	10 घनमी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0	
3	25 घनमी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0	(2) मेसर्स आनन्द बायोटेक प्रा0लि0।
2	45 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0	(3) मेसर्स सिद्धू बायोटेक।
3	60 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0	(4) मेसर्स शिवा बायोगैस एजेन्सी।
4	85 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0	
5	140 घन मी0	मेसर्स अरूणा ग्रीन वेंचर्स, प्रा0लि0	

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Manoj 9.9.22

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(मनोज कुमार सिंह) 9.5.22

अपर मुख्य सचिव।

ई-मेल द्वारा प्रेषित

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0),
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
पार्श्वांकित जनपद,
उ0प्र0।

पत्रांक- 5/80 30 /2021-5/25/2018/2021 लखनऊ दिनांक 21 अक्टूबर, 2021

विषय: गोबर धन परियोजना की प्रगति भारत सरकार द्वारा विकसित वेब पोर्टल sbm.gov.in/GBDW20 पर दर्ज/फीड किये जाने के संबंध में।

आगरा
अलीगढ़
अयोध्या
आजमगढ़
बरेली
बस्ती
चित्रकूट (बांदा)
गोण्डा
गोरखपुर
झांसी
कानपुर नगर
लखनऊ
मेरठ
मिर्जापुर
मुरादाबाद
प्रयागराज
सहारनपुर
वाराणसी
मथुरा
मैनपुरी
फिरोजाबाद
जालौन
ललितपुर
देवरिया
कुशीनगर
महराजगंज
कानपुर देहात
औरैया
इटावा
फर्रुखाबाद
कन्नौज
चन्दौली
बलिया
जौनपुर
गाजीपुर
उन्नाव

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत गोबर-धन परियोजना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है। गोबर-धन परियोजना गांव से उत्सर्जित होने वाले कैटल डंग (गोबर) एवं जैविक कचरे के समुचित निपटान करने के साथ-साथ वेस्ट टू वेल्थ परिकल्पना पर आधारित है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना में 36 जनपदों यथा आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट (बांदा), गोण्डा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, जालौन, ललितपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, चन्दौली, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर व उन्नाव को लक्ष्य के रूप में लिया गया है। परियोजना का अनुश्रवण भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निरन्तर किया जा रहा है। अतः उक्त 36 जनपदों में गोबर-धन योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में मिशन कार्यालय द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से निरन्तर निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम मे कतिपय जनपदों द्वारा गोबर धन परियोजनान्तर्गत बायोगैस प्लान्ट लगाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। कतिपय जनपदों द्वारा स्थल चयन, एजेन्सी चयन व डी0पी0आर0 तैयार किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। गोबर धन परियोजनान्तर्गत जनपदों द्वारा की जा रही कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की सूचना भारत सरकार द्वारा विकसित वेब पोर्टल sbm.gov.in/GBDW20 पर दर्ज/फीड कराया जाना है। इस हेतु जनपदों का Login Id व Password उसकी सुरक्षा/निजता के दृष्टिगत आपके Whatsapp पर पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि गोबर धन परियोजना में की गई कार्यवाही की सूचना भारत सरकार द्वारा विकसित वेब पोर्टल sbm.gov.in/GBDW20 पर उपलब्ध कराये जा रहे Login Id व Password का उपयोग करते हुए दर्ज/फीड कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राज कुमार)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।

संख्या:5/ /2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।

ई-मेल द्वारा प्रेषित

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0),
उत्तर प्रदेश

सेवा में,

समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी,
पार्श्वांकित जनपद,
उ0प्र0।

पत्रांक– 5/1430/2021–5/25/2018/2021 लखनऊ दिनांक 21 अक्टूबर, 2021

विषयः गोबर धन परियोजना की प्रगति भारत सरकार द्वारा विकसित वेब पोर्टल sbm.gov.in/GBDW20 पर दर्ज/फीड किये जाने के संबंध में।

आगरा
अलीगढ़
अयोध्या
आजमगढ़
बरेली
बस्ती
चित्रकूट (बांदा)
गोण्डा
गोरखपुर
झांसी
कानपुर नगर
लखनऊ
मेरठ
मिर्जापुर
मुरादाबाद
प्रयागराज
सहारनपुर
वाराणसी
मथुरा
मैनपुरी
फिरोजाबाद
जालौन
ललितपुर
देवरिया
कुशीनगर
महराजगंज
कानपुर देहात
औरैया
इटावा
फर्रुखाबाद
कन्नौज
चन्दौली
बलिया
जौनपुर
गाजीपुर
उन्नाव

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 अन्तर्गत गोबर–धन परियोजना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है। गोबर–धन परियोजना गांव से उत्सर्जित होने वाले कैटल डंग (गोबर) एवं जैविक कचरे के समुचित निपटान करने के साथ–साथ वेस्ट टू वैल्थ परिकल्पना पर आधारित है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक कार्ययोजना में 36 जनपदों यथा आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट (बांदा), गोण्डा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, जालौन, ललितपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, चन्दौली, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर व उन्नाव को लक्ष्य के रूप में लिया गया है। परियोजना का अनुश्रवण भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निरन्तर किया जा रहा है। अतः उक्त 36 जनपदों में गोबर–धन योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में मिशन कार्यालय द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से निरन्तर निर्देशित किया गया है। जिसके क्रम में कतिपय जनपदों द्वारा गोबर धन परियोजनान्तर्गत बायोगैस प्लान्ट लगाये जाने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। कतिपय जनपदों द्वारा स्थल चयन, एजेन्सी चयन व डी0पी0आर0 तैयार किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। गोबर धन परियोजनान्तर्गत जनपदों द्वारा की जा रही कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की सूचना भारत सरकार द्वारा विकसित वेब पोर्टल sbm.gov.in/GBDW20 पर दर्ज/फीड कराया जाना है। इस हेतु जनपदों का Login Id व Password उसकी सुरक्षा/निजता के दृष्टिगत आपके Whatsapp पर पृथक से उपलब्ध कराया जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि गोबर धन परियोजना में की गई कार्यवाही की सूचना भारत सरकार द्वारा विकसित वेब पोर्टल sbm.gov.in/GBDW20 पर उपलब्ध कराये जा रहे Login Id व Password का उपयोग करते हुए दर्ज/फीड कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राज कुमार)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।

संख्या:5/1630/2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रा0),
उत्तर प्रदेश

ई-मेल से प्रेषित

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
चयनित जनपद,
उ0प्र0।

पत्रांक:- 5/[illegible]/2021-5/26/2018/2021 लखनऊ दिनांक 21 सितम्बर, 2021

विषय: गोबर धन परियोजना के क्रियान्वयन के संबंध में।

आगरा
अलीगढ़
अयोध्या
आजमगढ़
बरेली
बस्ती
चित्रकूट (बांदा)
गोण्डा
गोरखपुर
झांसी
कानपुर नगर
लखनऊ
मेरठ
मिर्जापुर
मुरादाबाद
प्रयागराज
सहारनपुर
वाराणसी
मथुरा
मैनपुरी
फिरोजाबाद
जालौन
ललितपुर
देवरिया
कुशीनगर
महराजगंज
कानपुर देहात
औरैया
इटावा
फर्रुखाबाद
कन्नौज
चन्दौली
बलिया
जौनपुर
गाजीपुर
उन्नाव

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 अन्तर्गत गोबर-धन परियोजना एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है। गोबर-धन परियोजना गांव से उत्सर्जित होने वाले कैटल डंग (गोबर) एवं जैविक कचरे के समुचित निपटान करने के साथ-साथ वेस्ट टू वेल्थ परिकल्पना पर आधारित है। भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना में 36 जनपदों यथा आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, चित्रकूट (बांदा), गोण्डा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, जालौन, ललितपुर, देवरिया, कुशीनगर, महराजगंज, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, चन्दौली, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर व उन्नाव को लक्ष्य के रूप में लिया गया है। परियोजना का अनुश्रवण भारत सरकार एवं प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा निरन्तर किया जा रहा है। अतः उक्त 36 जनपदों में गोबर-धन योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता पर कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में मिशन कार्यालय के पत्र संख्या-5/1575/2020-5/25/2018 दिनांक 09.12.2020 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से सभी जनपदों में गोबर-धन सेल का गठन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। उक्त गोबर-धन सेल मे सदस्य के रूप में बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0, डी0पी0आर0ओ0, जिला समाज कल्याण अधिकारी, परियोजना अधिकारी (यू0पी0 नेडा), प्रबंधक (पी0सी0डी0एस0) आदि को समिति में रखा जाना प्राविधानित है। उक्त पत्र के माध्यम से गोबर धन सेल के दायित्वों के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया है, जो कि निम्नवत् है-

- जनपद में क्रियान्वयन एजेन्सी का चयन किया जाना।
- जनपद स्तर पर कार्यक्रम के अनुश्रवण का दायित्व सेल का होगा।
- राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से तालमेल कर संचालन एवं अनुरक्षण।
- जनपद स्तर पर होने वाले समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक के कार्य।
- प्रत्येक वर्ष परियोजना का ऑडिट किया जाना।

उपरोक्त के दृष्टिगत समस्त सम्बन्धित 36 जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों एवं जिला पंचायतराज अधिकारियों के साथ जूम मीटिंग (वीडियो कान्फ्रेंसिंग) का आयोजन कर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वीडियो कान्फ्रेंसिंग में योजनान्तर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की टीम से एक प्रस्तुतिकरण इस उद्देश्य के साथ कराया गया, जिससे कि जनपदों को प्रशिक्षण/सहयोग प्रदान किया जा सके। इसके अतिरिक्त जनपद कानपुर देहात में सफलता पूर्वक स्थापित किये गये बायोगैस संयन्त्र के सम्बन्ध में भी विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान की गई। चर्चा के दौरान लिये गये निर्णयों के क्रम में बैठक का कार्यवृत्त संख्या–5/556/25/2021 दिनांक 22.07.2021 जारी किया गया है, जिसके बिन्दु संख्या–7 के अनुसार प्रोजेक्ट हेतु स्थल का चयन ऐसी ग्राम पंचायतों में किया जाना है जहां पूर्व से ही एक या एक से अधिक गौशाला हो, जिससे कि बायोगैस प्लान्ट को निरन्तर फीड उपलब्ध हो सके। अतः ऐसी ग्राम पंचायतों का चयन किया जाना उचित होगा, जहां गौशाला ग्राम पंचायत आबादी के निकट में हो, जिससे कि गांव में निवास करने वाले समुदाय को भी लाभान्वित किया जा सके।

भारत सरकार के पत्र संख्या–S-11011/2/2020-SBM-DDWS दिनांक 08.04.2020 एवं योजना क्रियान्वयन हेतु जारी मार्ग निर्देशिका के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज–2 के फंडिंग नार्मस के अनुसार गोबर धन परियोजना अन्तर्गत सामुदायिक बायोगैस संयंत्र स्थापित करने हेतु रू0 50 लाख तक की धनराशि प्रति जनपद अनुमन्य है। चूंकि रू0 50 लाख की धनराशि प्रति जनपद सिर्फ एक बार ही प्राप्त होनी है, अतः जनपदों द्वारा रू0 50 लाख की धनराशि का सद्पयोग करते हुए एक या एक से बायोगैस संयन्त्र का निर्माण कराया जा सकता है। योजना के तीव्र गति से क्रियान्वयन हेतु निम्नवत् कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है–

- गोबर धन सेल का गठन किया जाना।
- उचित स्थल/ग्राम पंचायत का चयन किया जाना।
- डी0पी0आर0 तैयार करने एवं बायोगैस संयन्त्र स्थापित किये जाने हेतु एजेन्सी का चयन किया जाना।

जनपदो द्वारा गोबर धन परियोजना में अभी भी अपेक्षित प्रगति नहीं की गई है। इस कारण प्रकरण में जनपद स्तर पर आप द्वारा अनुश्रवण किया जाना एवं मार्ग–दर्शन प्रदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

गोबर धन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या–S-18017/10/2020-SBM-III दिनांक 12.07.2021 के माध्यम से निर्गत फ्रेम वर्क गाईड लाइन पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। उक्त फ्रेम वर्क गाईड लाइन के माध्यम से गोबर धन परियोजना के उद्देश्य, लाभ, विभिन्न मॉडल, कार्यान्वयन तन्त्र, वित्तीय व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया है। उक्त फ्रेम वर्क गाईड लाइन के साथ विभिन्न क्षमता एवं मॉडल वाले बायोगैस संयन्त्र की अनुमानित लागत का विवरण संलग्नक 03 के रूप में संलग्न है। इन दरों को यथावश्यक माप–दण्ड मानते हुए लागत का आंकलन क्षेत्रीय पी0डब्लू0डी0के सिड्यूल्ड रेट्स (PWD-SoR) के आधार पर कराया जा सकता है।

...नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इम्पैनल्ड एजेन्सियों की सूची (छायाप्रति संलग्न) उपलब्ध कराई गई है। इन एजेन्सियों का चयन जनपद स्तर पर गठित गोबर धन सेल के माध्यम से कराकर बायोगैस संयन्त्र स्थापित किये जाने, डी०पी०आर० तैयार करने एवं निर्माण की कार्यवाही की जा सकती है। बायोगैस संयन्त्र इकाई के कम से कम 03 वर्षों तक रख-रखाव एवं संचालन हेतु आवश्यक मैनपावर/एम०एण्ड०ओ० इत्यादि के ट्रेनिंग आदि घटकों को डी०पी०आर० में सम्मिलित किया जाना श्रेयस्कर होगा। तैयार कराये गये डी०पी०आर० की 01 प्रति गोबर धन सेल से अनुमोदन के उपरान्त मिशन कार्यालय पर उपलब्ध कराई जानी है।

शासनादेश संख्या-920/33-3-2020-25/2020 दिनांक 18 मई, 2020 के द्वारा क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण केन्द्र (आर०सी०यू०ई०एस०) लखनऊ को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत रिसोर्स पार्टनर के रूप मे नामित किया गया है। उक्त के क्रम में आर०सी०यू०ई०एस० को भी तकनीकी एजेन्सी के रूप में चयनित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में कतिपय एजेन्सियों द्वारा बायोगैस संयन्त्र सम्बन्धी उत्कृष्ट कार्य किये जा रहे हैं। इन एजेन्सियों का परिक्षण गोबर धन सेल समिति में नामित सदस्य यू०पी०नेडा के माध्यम से कराकर योजना का क्रियान्वयन किया जा सकता है।

गोबर धन सेल के माध्यम से एजेन्सी चयन किये जाने के निम्नवत् मापदण्ड निर्धारित किये जा सकते हैं-

मापदण्ड:-

1. किसी तकनीकी सरकारी संस्था जैसे कि आर०ई०एस०, यू०पी०नेडा, जल निगम आदि को चयनित किया जा सकता है।
2. बायोगैस संयन्त्र हेतु किसी सरकारी संस्थान द्वारा नामित (इम्पैनल्ड) एजेन्सी।

अथवा

3. निजी एजेंसी का चयन किये जाने की स्थिति में एजेंसी को स्थानीय स्वयं सहायता समूहों, निजी संस्थाओं, थोक अपशिष्ट उत्पादक/उद्देश्य सामुदायिक स्तर बायोगैस संयत्र की स्थापना संचालन और रखरखाव में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव तथा विशेषता होनी चाहिए।
4. एजेंसी के पास वैद्य सेवा कर/वैट/TAN No./GST No. होना चाहिए (व्यापार सूची में एजेंसी शामिल हो)।
5. एजेंसी द्वारा किए गए समान प्रकृति के कार्य जैसे बायोगैस संयत्र की स्थापना संचालन एवं तकनीकी के पूर्ण अनुभव का समर्थन करने वाले दस्तावेज मौजूद और पिछले ग्राहकों की पूरी तरह से विस्तृत सेवाओं के साथ सेवाओ की पेशकश सहित समान परियोजनाओ का वितरण/अनुबंध/कार्य आदेश/समापन/संतोषजनक प्रमाण पत्र की प्रतियां आदि होनी चाहिये।
6. एजेंसी का विगत 03 वर्षों का टर्न ओवर 50 लाख प्रति वर्ष होना चाहिए।
7. एजेंसी को कभी भी काली सूचीबद्ध (ब्लैक लिस्ट) न किया गया हो।
8. एजेंसी द्वारा कार्य गुणवत्तापूर्ण न करने एवं नियत समयावधि में पूर्ण न करने या कार्यालय के कार्यादेश के आधार पर कार्य न करने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार जिला गोबर धन सेल के पास सुरक्षित रहेगा।

//।

<u>एजेंसी का विस्तृत कार्य क्षेत्र–</u>

1. एजेंसी साइट पर उपलब्ध अपशिष्ट के मूल्यांकन के आधार पर बायोगैस संयंत्र के आकार, संरचना के निर्धारण एवं स्थापना रखरखाव तथा निरंतर निरीक्षण के लिए उत्तरदाई होगी।
2. तकनीकी एजेंसी बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए प्रस्ताव/डीपीआर बनाने के लिए उत्तरदाई होगी डीपीआर में बायोगैस और बायो स्लरी प्रबंधन का पूर्ण विवरण होना चाहिए।
3. बायोगैस संयंत्र के रखरखाव और मरम्मत में सहयोग की जिम्मेदारी तकनीकी एजेंसी की होगी।
4. बायोगैस संयंत्र के प्रबंधन के प्रशिक्षण हेतु बुलाए जाने पर प्रशिक्षक भेजने की जिम्मेदारी तकनीकी एजेंसी की होगी।
5. बायोगैस संयंत्र के रखरखाव के लिए कर्मचारी की नियुक्ति/प्रशिक्षण की जिम्मेदारी तकनीकी एजेंसी की होगी।

<u>अतः अनुरोध है कि अपने–अपने जनपद में गोबर धन सेल के गठन, स्थल का चयन एवं एजेन्सी चयन की कार्यवाही आदि कराते हुए गोबर–धन योजना का क्रियान्वयन प्राथमिकता पर कराने का कष्ट करें।</u>

<u>संलग्न– उपरोक्तानुसार</u>

भवदीय

(राज कुमार)
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।

<u>संख्या:5/ /2021 तद्दिनांक</u>

<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।</u>

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार।
2. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं0), उ0प्र0।
6. समस्त सम्बन्धित जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि पत्र के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप पर अद्यतन प्रगति की सूचना दिनांक 02 दिवसों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।

ANNEXURE-III

Estimated Cost of Biogas plants (Rate varies according to location, construction material cost, model like Deenbandhu, KVIC, Janta etc.)

Sl. No	Plant Type	Capacity	Approximate Cost (Rs.)	Details/Remarks
1	Pre fabricated (Portable plant)	1 cum	12,000	Unit without water jacket and made of PVC/LLDP/HDPE tanks Circular digester and floating gas holder
2	Pre fabricated (Portable plant)	1 cum	12,500	Unit without water jacket and made of FRP, Circular digester and floating gas holder
3	Pre fabricated (Portable plant)	1 cum	13,000	Unit with water jacket and made of PVC/LLDP/HDPE tanks Circular digester and floating gas holder
4	Pre fabricated (Portable plant)	1 cum	13,500	Unit with water jacket and made of FRP, circular digester and floating gas holder
5	Flexi Biogas Unit	2 cum	25,000	Unit made of HDPE/LLDP and consists of a filter, stove and booster pump
6	Fixed Dome	50 Kg	2 lakh	This cost varies with location and different models
7	Fixed Dome	100 Kg	2.75 lakh	This cost varies with location and different models
8	Fixed Dome	200 Kg	4.25 lakh	This cost varies with location and different models
9	Fixed Dome	300 Kg	7 lakh	This cost varies with location and different models
10	Fixed Dome	500 Kg	10 lakh	This cost varies with location and different models
11	Fixed Dome	1000 kg	15 lakh	This cost varies with location and different models
12	Fixed Dome	2000 Kg	30 lakh	This cost varies with location and different models

(Source: Suchitwa Mission, LSGD, Govt. of Kerala)

प्रेषक,
मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,
जिला पंचायतराज अधिकारी,
जनपद–आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गोण्डा, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी, उ0प्र0।

पत्रांक– 5/915 /2021–5/25/2018 लखनऊ दिनांक:05 मार्च फरवरी, 2021

विषयः गोबरधन योजना 2020–21 'वेस्ट टू वेल्थ' के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या–S-18017/10/2020-SBM-III-DDWS दिनांक 15.02.2021 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि गोबर धन योजनान्तर्गत हेतु एक एकीकृत पोर्टल (http://sbm.gov.in/GBDW20/Home.aspx) मा0 केन्द्रीय मंत्री, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, पंचायतीराज मंत्रालय, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मत्सय पालन, पशुपालन एवं दुग्ध मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से लांच किया गया है। उक्त पोर्टल को गोबर धन योजनान्र्गत निर्मित कराये जाने वाले बायोगैस प्लान्ट सम्बन्धी सूचनाओं, महत्वपूर्ण प्रपत्र, नीतियों एवं एम0आई0एस0 पर प्रगति दर्ज कराये जाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है।

अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 की कार्ययोजना में प्रदेश 18 मण्डलीय मुख्यालय जनपदों को गोबर धन योजनांन्तर्गत लक्ष्य के रूप में लिया गया है। जिसके क्रम में दिनांक 15.02.2021 को गोबर धन योजना के क्रियान्वयन हेतु उन्मुखीकरण/प्रशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित की जा चुकी है। आप विदित हैं कि योजना के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मिशन कार्यालय के पत्र संख्या–5/1575/2020–5/25/2018 दिनांक 09.12.2020 के माध्यम से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गोबर धन सेल का गठन किया गया है। साथ ही उक्त पत्र के माध्यम से गोबर धन सेल के दायित्वों के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया है।

उपरोक्त के क्रम में आपके जनपद में एक मॉडल बायोगैस प्लान्ट पायलेट स्थापित किया जाना है। जिसमें उन्नत तकनीक का उपयोग सामुदायिक बायोगैस प्लांट लगाया जाएगा। जो कि जैविक कचरे को निष्पादित करने में सहायक हो। उक्त मॉडल 'वेस्ट टू वेल्थ' एवं क्लीन एनर्जी की संकल्पना पर आधारित होना चाहिये। साथ ही उक्त बायोगैस प्लान्ट से 05–10 किमी0 क्षेत्र का कलस्टर बनाकर इस क्षेत्र में आने वाले आवारा/अनाथ पशुओं एवं गौशालाओं आदि से उत्सर्जित गोबर आदि जैविक कचरे को एकत्रित कर निष्पादित किया जायेगा। बायोगैस प्लान्ट में स्रोत से प्लांट तक फीड स्टॉक की खरीद, संग्रह और परिवहन की व्यवस्था की जानी होगी। उत्पन्न बायोगैस को कम्प्रेस्ड बायोगैस में परिवर्तित कर इसे ईंधन के रूप में सीधे उपभोक्ताओं या तेल विपणन कंपनियों को बेचा जा सकता है और स्लरी को जैव–उर्वरकों में परिवर्तित किया जा सकता है और किसानों को बेचा जा सकता है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अन्तर्गत गोबर धन योजना हेतु प्रति जनपद रू0 50.00 लाख की वित्तीय व्यवस्था की गई है।

सामुदायिक स्तर के कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र (CBG) का निर्माण गाँव/ब्लॉक/जिला स्तरों पर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 15 वें वित्त आयोग के अनुदान के साथ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के New National Biogas and Organic Manure Programme (NNBOMP) की वित्तीय व्यवस्था से उक्त कम्प्रेस्ड बायोगैस संयंत्र (CBG) प्लान्ट का निर्माण कराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त के क्रम में अपने-अपने जनपद में मॉडल बायोगैस प्लान्ट स्थापित किये जाने हेतु स्थान/कलस्टर चिन्हित कर उस क्षेत्र में आने वाली गौशालाओं आदि की सूची के साथ प्लान/प्रस्ताव जनपद स्तर पर गठित गोबर धन सेल से अनुमोदन कराकर अधोहस्ताक्षरी को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जिससे कि बायोगैस प्लान्ट स्थापित किये जाने हेतु वित्तीय व्यवस्था, तकनीकी सहयोग आदि हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही कराई जा सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(योगेन्द्र कटियार)
उप निदेशक(पं०)/नोडल अधिकारी,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)उ०प्र०

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र० शासन।
2. अपर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ०प्र०।
5. समस्त सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ०प्र०।
6. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पं०), उ०प्र०।

उप निदेशक(पं०)/नोडल अधिकारी,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण)उ०प्र०

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण),
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

पत्रांकः– 5/2542/25/2018 लखनऊ दिनांकः 10 जून, 2019

विषयः–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत गोबर धन स्कीम के संशोधित गाइड लाईन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–एस–15014/1/2018–एस0बी0एम0–III–पार्ट(1) दिनांक 08.03.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अवगत कराया गया है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के उचित प्रबंधन, वेस्ट को रिसोर्स के रूप में लिये जाने आदि की दृष्टि से गोबर धन योजना की घोषणा फरवरी, 2018 में की गई थी। इस योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू किये जाने हेतु विभिन्न राज्यों के अनुरोध पर गाइड लाईन में कुछ आवश्यक बदलाव किये गये हैं। जो कि निम्नवत् है–

Heading	Existing Sentence	Revised
Role of State	DWSC shall be the nodal agency for project approval and monitoring at the district. Upon reciving of application from interested entities, the committee, headed by the District Collector/Dirstrict Magistrate, shall evaluate the proposal and upon satisfactory evidence and viability, shall forward to the STAC. STAC shall evaluate the proposal, especially the technical soundness and share final approval and communicate through State Government.	The approval of viable projects by the State Level Technical Advisory Committee (STAC) is no mandatory. The DWSC, headed by the district Collector/District Magistrate, shall be resposnsible for the final approval of projects, implementation and monitoring The district is responsible for approving project that are technically sound and practical to implement. Districts can reach out to technical agencies, experts from the existing STAC and relevant government departments, for necessary support The STAC shall continew supporting district in selecting technical agencies. The STAC will issue EOI's for enpanelment of technical agencies which will

Heading	Existing Sentence	Revised
		support the selected application and for empaneling technologies.
Model B: Gram Panchayat, supported by technical agecy is Entity	Gram Panchayats should have adequate bio-mass such as animal dung, farm residue etc. in order to take up the project. Gram Panchayats must consider a community size plant model where significant number of households and villages are benefitted from reduces waste in the environment.	Exemption may be given to North-Eastern and Hill State to allow them to construct habitation level biogas plants under the scheme, as opposed to only larger community level plants.
Approval Process	State shall issue an Expression of Intrest inviting applications from eligiable applicants - Gram Panchayats, SHG/Federations, Bulk Wates Generators and Enterpersneurs.	While the State may contin[illegible]ew Issuing EoI's invitiing applications for eligiable applicants, Districts can collect project proposals from intrested GPs/SHGs as well, by defining the eligiability criteria as given in GOBAR DHAN Guidelines.
Recommended Model of Operation	Model A : Gram Panchayat 100% plant cost or as per SBMG SLWM slab as indicated below, whichever is less. Plant serving GPs with total funds avialable; 150 HHs - 3.5 Lakh 300 HHs - 6 Lakh 500 HHs - 7.5 Lakh >500 HHs - 10 Lakh	100% plant cost or as per SBMG SLWM slab as indiacted below, whichever is less. Plant serving GPs with total funds avialable; 150 HHs - 7 Lakh 300 HHs - 12 Lakh 500 HHs - 15 Lakh >500 HHs - 20 Lakh State can avail the funds with in prescribed slab at their discretion, for all planned SLWM Initiatives including GOBARDHAN.
Recommended Model of Operation	Model B : SHG Federation 75% plant cost or as per SBMG SLWM slab as indicated below, whichever is less. Plant serving GPs with total funds avialable; 150 HHs - 3.5 Lakh 300 HHs - 6 Lakh 500 HHs - 7.5 Lakh >500 HHs - 10 Lakh	75% plant cost or as per SBMG SLWM slab as indicated below, whichever is less. Plant serving GPs with total funds avialable; 150 HHs - 7 Lakh 300 HHs - 12 Lakh 500 HHs -15 Lakh >500 HHs - 20 Lakh